हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग
सचिवालय प्रशासन सेवाएं–1

संख्या पी0ई0आर0(स.प्र.से– I)–बी (2) 13/2014 तारीख शिमला–2 19, जून, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में अनुसंधान अधिकारी, वर्ग–I(राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध **"क"** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) अनुसंधान अधिकारी, वर्ग–I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या पी0ई0आर0 (स.प्र.से.)–बी(2)–13/2014 दिनांक 19, जून, 2017

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5
3. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम विहार, शिमला–171002
6. 100 अतिरिक्त प्रतियां/गार्ड नस्ति।

उप सचिव(सचिवालय प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में अनुसंधान अधिकारी, वर्ग– I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी
2.	पद की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग– I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंण्ड:– ₹ 10300–34800/– जमा ₹ 5000/–ग्रेड पे ₹ 15600–39100/– जमा ₹ 5400/–ग्रेड पे (प्रारम्भिक वेतन के बिना दो वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात्)
5.	चयन अथवा अचयन पद:	चयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं। (ख) वांछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : जैसी नीचे स्तंभ संख्या 11 के सामने विहित हैं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को

		लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।
10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सेकण्डमेण्ट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, सेकण्डमेण्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति / सेकण्डमेण्ट / स्थानान्तरण किया जाएगा :	वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जो अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / वाणिज्य / गणित में मान्यता प्राप्त निष्णात उपाधि (मास्टर्स डिग्री) रखते हो तथा विहित अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
		(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के

		आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे: परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, तो उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे । **<u>स्पष्टीकरण</u>**:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया

		हो और इनके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गये हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी: परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16.	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17.	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।